

कार्यालय सहायक संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक 1101 /नगराजि/सर्वे-भवन/2012

रायगढ़, दिनांक : 11.9.12

प्रति,

.....भाषुक्त, नगर पालिका निगम  
शृण्गार, (छ.ग.)

विषय :- भवन निर्माण नियोजन सहमति प्रदाय करने वापत्।

आवेदक 11/१ रमेश श्रीमान आडेठाटपाडी पाटिनर्ही नुसार तेजवाल

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 170 दिनांक 07.10.2012

इस कार्यालय का पत्र क्रमांक ..... दिनांक .....

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में यथावर्णित ग्राम क्षेत्राङ्कुला

उभरा नं. 10, 11, 12 (खंड) भू-खंड क्रमांक .....

रक्खा 3750.0 वर्ग मीटर/वर्गफूट भूमि पर नवीनीकरण निर्माण कार्य करने हेतु मानवित्र में दशाये अनुसार संबंधी भवन निर्माण नियोजन सहमति छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अन्याधीन रखते हुये भवन निर्माण नियोजन सहमति जारी किया जाता है, बशर्ते कि :-

1. भवन का प्रयोजन अस्थायी (छिन्नाधीन) एवं अस्थायी प्रयोजन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से व्यपवर्तन कराना होगा।
2. प्रश्नाधीन स्थल के सामने वर्तमान मार्ग चौड़ाई 9.0 मी. जिसे 12.0 मी. करते हुए, मार्ग के मध्य से 6.0 मी. तथा बाजू मार्ग चौड़ाई को ..... रखते हुए, उसके मध्य से ..... तथा दोनों भागों के मिलान बिन्दु, पर आनन्दित अनुसार की गोलाई दी जावेगी।
3. निर्मित क्षेत्र भू-तल 11.259.00 में प्रथम तल 911.20 लम्बा द्वितीय तल 911.20 लम्बा 911.20 लम्बा कुल निर्मित क्षेत्रफल 5467.219 एकड़ि निर्मित क्षेत्र 25% चढ़ाव तल 911.20 लम्बा पैदागतल 911.20 लम्बा प्रतिशत फर्शी क्षेत्र ..... एवं भवन की ऊंचाई 1.80 मीटर से अधिक नहीं होगा।
4. उपान्तीय खुली भूमि सामने 143.00 मीटर पीछे 6.00 मीटर ..... दोनों ओर दोनों ओर 10.00 मीटर

5. निर्माण कार्य करने के पूर्व संबंधित विभाग से अनिवार्य रूप से अनुमोदन / अनापसि प्राप्त किया जाये ।
6. भूमि स्वामित्व के विवाद होने पर दी गई नियोजन सहमति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी ।
7. नियमानुसार सहमति की कालावधि एक वर्ष होगी निर्धारित कालावधि में पूर्ण न होने पर वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक विधि मान्य किया जावेगा ।
8. दी गई नियोजन सहमति के विपरित विकास करने पर स्वयमेव व्ययगत हो जावेगी ।
9. नियमानुसार प्रति 100 वर्ग मीटर भू-खंड क्षेत्र की दर से वृक्षारोपण किया जावेगा ।
10. पलाई एश से बनी सामग्री का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ।
11. मानचित्र में लाल स्थौरी से अंकित को ही निर्माण नियोजन सहमति प्रदान की जाती है ।
12. कॉलोनाइजर की रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 नियम 15 (क) के तहत कार्यवाही आवश्यक हो तो समक्ष अधिकारी के द्वारा कार्यवाही पूर्ण किया जावे ।
13. नियमानुसार रेन-वाटर हार्डिंग की व्यवस्था 30 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से की जावेगी ।
14. .....

Ranjit  
सहायक सचालक  
नगर एवं ग्राम निवेश  
रायगढ़ (छ.ग.)